न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 7/17 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. शंकरलाल आत्मज उदयराम लुहार निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. नंदा आत्मज गोमा गुर्जर निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. तुलसी देवी पत्नि हजारी गुर्जर निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. उदयलाल आत्मज गिरधारी प्रजापत निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. मगना आत्मज गिरधारी प्रजापत निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. सुरजमल आत्मज भुरा गुर्जर निवासी डांगडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 08.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प अटल सेवा केन्द्र झडोल मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम डांगडी पटवार हल्का झडोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की कृषि आराजियात संख्या 1117/431 रकबा 0.18 हे0, भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की उक्त आराजी के सीमा सम्बन्धी चारो तरफ सीमा के मुश्तकिल निशानात नही है तथा उक्त भूमी ग्राम डांगडी की आबादी भूमि के करीब होने से अन्य लोग कब्जा करने पर उतारन होने व सीमा सम्बन्धी विवाद पक्षकारान के मध्य बना रहता है। जिससे प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी करवा कर रूण्डे रूपवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है जिससे प्रार्थी अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता है। इस हेतु वह नियमानुसार शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थी की उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थी ने विपक्षीगणो को कई मर्तबा कहा किन्तु वे टालम टोल करते रहे व प्रार्थी ने दिंनाक 05/01/2017 को अंतिम बार कहा तो वे इन्कार हो गये जिससे प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पडा है। बिनाय वाद दिनांक 05/01/2017 को विपक्षीगण द्वारा पत्थरगढी कराने से इन्कार होने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और अन्दर अवधि यह प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 18.01.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम डांगडी पटवार हल्का झडोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की कृषि आराजियात संख्या 1117/431 रकबा 0.18 हे0, भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 100/– अक्षरे एक सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 08.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यांयालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
08/6/17